अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 5/2021-सीमाशुल्क (सीविडी)

सा.का.नि. 684(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7219 या 7220 के अंतर्गत "कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्डड् स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद" (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अपने अंतिम निष्कर्षों को, अधिसूचना संख्या 14/18/2015-डीजीएडी तारीख 4 जुलाई, 2017 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 01/2017-सीमाशुल्क (सीविडी) तारीख 7 सितम्बर 2017 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिशुल्क शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1137 (अ) तारीख 7 सितम्बर 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।। खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:--

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के परन्तुक में, अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 जनवरी, 2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 190354/208/2021–टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 7 सितम्बर 2017 को सा.का.नि. 1137(अ) दिनांक 7 सितम्बर 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया थाऔर इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमाशुल्क (सीविडी), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 5/2021-CUSTOMS (CVD)

G.S.R. 684(E).—Whereas, in the matter of import of "Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products" (hereinafter referred to as the 'subject goods'), falling under heading 7219 or 7220 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the 'subject country') and imported into India, the designated authority in its final findings vide notification No. 14/18/2015 - DGAD, dated the 4th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th July, 2017, had recommended imposition of definitive countervailing duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive countervailing duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017 Customs (CVD),dated the 7th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 1137 (E), dated the 7th September, 2017 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in proviso to paragraph 2, for the figures, letters and word "30th day of September, 2021.", the figures, letters and word "31st day of January, 2022." shall be substituted.

[F. No. 190354/208/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 01/2017 Customs (CVD), dated the 7th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1137(E), dated the 7th September, 2017 and was last amended vide notification No. 2/2021-Customs (CVD) dated the 1st February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 82(E) dated the 1st February, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.